

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 776 / 238 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

आदेश

विषय:— दर्शनशास्त्र . विषय के सहायक प्राध्यापकों का वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन ।

संदर्भ:— उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/ 38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/ 38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार दर्शनशास्त्र . विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 3000-100-3500-125-5000 / 10000-325-15200 में स्थानन किया जाता है :-

विषय — दर्शनशास्त्र .

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक
01	1010018	श्री मलय वर्मा	दर्शनशास्त्र	शा. एम.के.बी. महा., जबलपुर	24.12.03

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें ।

नोट:-

01- जिन सहायक प्राध्यापकों का 01.01.1996 के पूर्व वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये 3000-5000 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी ।

02- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें ।

03- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त कर वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 777 / 238 / आउशि / गो.प्र. / 09,
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

- 01— माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02— प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03— निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04— महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05— समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06— संबंधित प्राचार्य, ।
- 07— संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08— संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09— संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 778/238/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

// आदेश //

विषय:— दर्शनशास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापकों का प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन।

संदर्भ:— उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार दर्शनशास्त्र विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 3700-5700/12000-420-18300 में स्थानन किया जाता है:—

विषय — दर्शन शास्त्र

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक
01	1010012	डॉ० जे.एस.दुवे	दर्शनशास्त्र	शा. एम.के.बी. महा., जबलपुर	09.07.2005

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:—

1— जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये 3700-5700 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

2— यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जाँच/लोकायुक्त जाँच/आर्थिक अपराध जाँच या अन्य कोई भी जाँच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

3— यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 779 / 238 / आउशि / गो.प्र. / 09,
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

- 01— माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02— प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03— निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04— महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05— समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06— संबंधित प्राचार्य, ।
- 07— संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08— संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09— संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 774 / 238 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

// आदेश //

विषय:- **दर्शनशास्त्र** विषय के सहायक प्राध्यापकों का **वरिष्ठ** श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि में संशोधन ।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार **दर्शनशास्त्र** विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से **वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान** रूपये **3000-5000 / 10000-15200** में स्थानन की तिथि में संशोधन किया जाता है :-

विषय – दर्शनशास्त्र

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
01	1010019	श्री नोयल दान, दर्शनशास्त्र शासकीय पी.जी.महा.खंडवा	20.12.2002	11.08.2000

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें ।

नोट:-

1- जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व **वरिष्ठ** श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये **3000-5000** में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी ।

2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जाँच/लोकायुक्त जाँच/आर्थिक अपराध जाँच या अन्य कोई भी जाँच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें ।

//2//

3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 775/238/आउशि/गो.प्र./09,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03.08.2009

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश